सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 06.01.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त।

नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 06.01.2015 को 13.30 बजे माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रो० संवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण;श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय कृषि राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार;श्री डी.उमा महेश्वर राव, माननीय सिंचाई मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार;श्री गिरीश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री,महाराष्ट्र; श्री टी. हरीश राव, माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न सदस्यों/प्रतिनिधियों और संगठनों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने गौर किया कि देश के विकास के लिए नदियों केअंतर्योजनकार्यक्रम महत्वपूर्ण था और यह उल्लेख करते हुए कि जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम की निगरानी कर रहा था,इसे राष्ट्रीय हित में प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के बीच दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना पर एक समझौते तक पहुंचने की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री के साथ दमनगंगा-पिंजल के कार्यान्वयन के बारे में बैठक के पश्चात शीघ्र ही एक निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि वह देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगी और नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करेंगी। उन्होंने केन-बेतवा लिंकपरियोजना-चरण-I पर सार्वजनिक सुनवाई के बारे में प्रसन्नता प्रकट की, जो 23 और 27 दिसंबर, 2014 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। माननीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम पर एक कार्यबल का गठन किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम में पीने के जल, सिंचाई, जलविद्युत, अंतर्देशीय नौपरिवहन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन आदि जैसे कई लाभ होंगे। उन्होंने पाया कि अंतर्देशीय जल के रास्ते परिवहन सबसे सस्ता तरीका माना जाता है और इसलिए नदियों का अंतर्योजन आर्थिक रूप से देश की वृद्धि में बहुत अधिक योगदान देता है। उन्होंने परामर्श दिया कि राज्यों की सभी चिंताओं को उचित तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए और लिंक परियोजनाओं को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए कि संबंधित राज्यों द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित किए जाएं।

प्रो० संवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने विशेष समिति की बैठक में सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनके सक्षम नेतृत्व के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षणमंत्रालय और उनके निरंतर मार्गदर्शन को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए नदियों का अंतर्योजनबहुत महत्वपूर्ण था, जो जल की उपलब्धता, पेयजल, बाढ़ और सूखे आदि में असमानता की विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने नदियों के विद्यमान सफल अंतर्योजन परियोजनाओं जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उदाहरण दिया। उन्होंने देश में अधिशेष जल का अधिकतम उपयोग खाद्य सुरक्षा और जल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली देश की अन्य समस्याओं के लिए किए जाने का आह्वान किया।

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकारने कथन किया कि उनका राज्य नदियों के अंतर्योजनकार्यक्रमों के साथ पूर्ण समझौते में है और इसके कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के जल का उचित उपयोग जरूरी था और सुझाव दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण ; सिंचाई, बिजली

उत्पादन के साथ-साथ अनुप्रवाह मैदानों के जलमग्न होने से बचने में मदद करेगा। उन्होंने इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया कि नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सभी संबंधित राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री टी. हरीश राव, माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार ने उल्लेख किया कि अधिशेष जल के हस्तांतरण के लिए नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम पर उनके राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 1050 टीएमसी जल की आवश्यकता थी, जबकि वर्तमान शुद्ध उपयोग बहुत कम था। उन्होंने आगे कहा कि रा.ज.वि.अ. ने गोदावरी बेसिनमें अधिशेष के रूप में 520 टीएमसी जल का मूल्यांकन किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका राज्य अध्ययन के लिए रा .ज.वि.अ. को अंतरा-राज्य लिंक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के लाभों की कीमत पर नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना नहीं बनाई जानी चाहिए और उन्होंने आग्रह किया कि तेलंगाना की सभी चल रही/भविष्य की परियोजनाओं को गोदावरी बेसिन से अंतरण के लिए अधिशेष जल पहुंचने से पहले विचार किया जाना चाहिए।

श्री डी. उमा महेश्वर राव, माननीय सिंचाई मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार ने नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन आगे किया। उन्होंने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 'जल मंथन' के दौरान 20.11.2014 की प्रस्तुति में कहा था कि आंध्र प्रदेश राज्य नदियों कार्यक्रमों के अंतर्योजन करने के लिए सहमत था, जिसे संबंधित राज्यों की मतैक्यता सुनिश्चित करने के बाद व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी राज्य सरकार अंतरा-राज्य लिंकों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उन्होंने गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) को प्राथमिकता पर पोलावरम परियोजना से शुरू किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि दो और अंतरा -राज्य लिंक अर्थात; कृष्णा-पेन्नार और नागावली-वामनधारा प्रगति पर थे। उन्होंने सुझाव दिया कि नदियों की अंतर्योजन परियोजना प्रस्तावों की योजना यथासंभव गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर होनी चाहिए।

श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र सरकार ने नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग) को विस्तृत टिप्पणियां देने के लिए कहा। श्रीमती मालिनी शंकर, प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग), महाराष्ट्र सरकार ने उल्लेख किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में प्राथमिकता पर लागू किया जाना था। उन्होंने रा.ज.वि.अ. से अपनी संभाव्यता स्थापित करने के लिए नार-पार अंतरा-राज्य लिंकपरियोजना के सर्वेक्षण और जांच के लिए अनुरोध किया। उन्होंने गौर किया कि अंतरा-राज्य और अंत:राज्यीय संबंधों को न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों के अधीन किया गया था।

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के संदेश की संक्षिप्त विषय-वस्तु को पढ़ा, जिसमें बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम आवश्यक था और बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि डी.पी.आर. की तैयारी के लिए महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक सिस्टम को तत्काल लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के भीतर पोन्नैयार(सथनूर बांध)-पलार लिंक, पोन्नैयार (नेदंगल अनीकट)-पलार लिंक, कावेरी (मेट्टूर बांध)- सारबांगा लिंक आदि जैसे नदियों को जोड़ने के लिए योजना बनाई थी।

विशिष्ट सदस्यों/आमंत्रितों की प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए कार्यसूची प्रस्तुत की।

मद सं.2.1: नई दिल्ली में 17.10.2014 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि 03.12.2014 के पत्र के माध्यम से परिचालित किए गए नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, और इसलिए इसकी पुष्टि प्रस्तावित की गई थी।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने रा.ज.वि.अ. को बैठक के कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियां और कार्यवृत्त में निम्नलिखित को शामिल करने का अनुरोध किया।

"प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी,तमिलनाडु ने सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 248 (आई) सहपठित संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 97 के आधार पर के नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रारंभिक निष्पादन के लिए कानून बनायाजा सकता है। उन्होंने आगे नदियों की नेटवर्किंग में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.2.2012 के पैरा-52 को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हितों को विशिष्ट राज्यों के हितों के ऊपर प्राथमिकता से लेना चाहिए; और नेपाल के पाम्बा और अच्चेनकोविल नदियों में उपलब्ध 20% अधिशेष जल के व्यपवर्तनका अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि पम्बा-अच्चेनकोविल-वैप्पारलिंक से संबंधित मुद्दों के संबंध में केरल सरकार के साथ एक चर्चा की जा सकती है। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने आश्वासन दिया कि नदियों की परियोजनाओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर विशेष समिति और उप समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी।"

यह स्पष्ट किया गया था कि तमिलनाडु सरकार की उपरोक्त टिप्पणियां, पहली बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए निर्णय पर प्रतिबिंबित नहीं हुईं। इसे आगे स्पष्ट किया गया था कि नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं की मंजूरी तकनीकी-आर्थिक, पर्यावरण आदि जैसी प्रासंगिक वैधानिक मंजूरियों पर निर्भर करती है जो संबंधित प्राधिकरणों की प्रक्रियाओं के अनुसार दी जाएगी। विशेष समिति या इसकी उप-समितियों वास्तव में नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं को अनुमतियां नहीं दे रही हैं। तमिलनाडु के प्रतिनिधि के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, विशेष समिति की पहली बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

"*प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी तमिलनाडु ने सुझाव दिया था कि कि संविधान के अनुच्छेद 248 (आई) सहपठित संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 97 के आधार पर के नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रारंभिक निष्पादन के लिए कानून बनाया जा सकता है।उन्होंने आगे नदियों की नेटवर्किंग में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.2.2012 के पैरा-52 को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हितों को विशिष्ट राज्यों के हितों के ऊपर प्राथमिकता से लेना चाहिए; और नेपाल के पम्बा और अच्चेनकोविल नदियों में उपलब्ध 20%अधिशेष जल के व्यपवर्तनका अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सुझाव दिया कि पम्बा-अच्चेनकोविल-वैप्पारलिंक से संबंधित मुद्दों के संबंध में केरल सरकार के साथ एक चर्चा की जा सकती है।*"

किसी भी अन्य सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए समिति ने उक्त विशिष्ट पैरा को जोड़ते हुए बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद सं.2.2: नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्रवाई का पालन करना।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि (i) विभिन्न अध्ययनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए चार उप-समितियां; (Ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन; और (iii) नदी बेसिनों/उप-बेसिनोंमें अधिशेष जल को साझा करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच समझौतों और समझौतों के माध्यम से आम मतैक्यता निर्माण

एवं (iv) पहली बैठक में तय किए गए निर्णय के अनुरूप रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन का गठन किया गया है। तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि आम मतैक्यताका निर्माण हेतु तीसरी उप-समिति,नदियों के अंतर्योजन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विलंब कर सकती है। यह स्पष्ट किया गया कि सहमति समूह पहले से ही अध्यक्ष , केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है एवं इसे और सशक्त बनाया गया है।

समिति ने पिछली बैठक के फैसले पर अनुवर्ती कार्रवाई को संज्ञान में लिया।

मद सं. 3.3 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I- विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति

मद सं.3.2.1: पर्यावरण स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को बताया कि परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई 23 दिसंबर और 27 सितंबर को छतरपुर जिले के सेलोन गांव और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हिनोता गांव में हुई थी। परियोजना की पर्यावरण मंजूरी के की आगे की कार्यवाही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमईईएफ और सीसी) द्वारा संसाधित की जाएगी। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.2.3.2: वन्यजीव स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि वन्यजीव स्वीकृति में तेजी लाने के लिए 9 दिसंबर, 2014 को प्रमुख सचिव (वन एवं वन्यजीव), पीसीसीएफ, वन्यजीवन भोपाल और प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग) के साथ रा.ज.वि.अ. की बैठक आयोजित हुई थी और इस संबंध में राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक शीघ्र ही आहूत किए जाने की आशा थी। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मदसं.2.3.3 : वन भूमि में व्यपवर्तन की अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि रा.ज.वि.अ. ने अगस्त, 2014 में वन भूमि की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था और यह मामला वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में प्रक्रियाधीन था। की कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मदसं.2.4: केन-बेतवा लिंककी वर्तमान स्थिति परियोजना चरण-II

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि रा .ज.वि.अ. ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-2 का डी.पी.आर. तैयार किया है और जनवरी, 2014 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था। यह भी सूचित किया गया था कि निचला ओर बांध, जो केन-बेतवा परियोजना चरण-II का एक हिस्सा है, की वन मंजूरी के लिए आवेदन को अक्टूबर, 2014 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी सौंप दिया गया था, जो प्रक्रियाधीन था। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.2.5: प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार की 9 लिंक प्रणाली की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की तैयारी। वर्तमान में रा.ज.वि.अ.संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसके बाद राज्यों की मतैक्यता के बाद ही डी.पी.आर. तैयार किए जाते हैं।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति को संक्षेप में समझाया और उल्लेख किया कि केन -बेतवा (चरण-I और चरण-II) और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर. पूरी हो चुकी हैं। पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के लिए डी.पी.आर. मार्च 2015 तक पूरा होने का समय था। यह उल्लेख किया गया था कि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडारलिंक प्रणाली जिसमें

9 लिंक परियोजनाएं हैं,नदियों के अंतर्योजन के प्रायद्वीपीय घटक की सबसे महत्वपूर्ण-लिंक प्रणाली थीं। रा.ज.वि.अ. ने सभी 9 लिंकोंकी संभाव्यता अध्ययन रिपोर्टों को पूरा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही अपने दायीं तट नहर सहित पोलावरम परियोजना का निर्माण किया है, जो उपरोक्त प्रणाली के लिंकोंमें से एक है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने अब पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का गठन किया है। शेष 8 लिंक के डी.पी.आर. रा.ज.वि.अ. द्वारा लिए जाने का प्रस्ताव है।

इन लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर. में तेजी लाने के लिए, रा.ज.वि.अ. को एनपीपी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और जांच कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव चर्चा के लिए कार्यसूची मद के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर समिति द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। संक्षिप्त में विचारों और विचार विमर्श के बाद लिए गए निर्णय को निम्नानुसार दर्ज किया गया है।

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि कावेरी बेसिनमें इस लिंकप्रणाली से केरल को कोई लाभ नहीं हुआ है और उल्लेख किया कि कावेरी बेसिनमें केरल को 98.8 टीएमसी की आवश्यकता के मुकाबले न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के विपरीत 30 टीएमसी का आवंटन किया गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि इस अंतर को लिंक प्रणाली के माध्यम से कावेरी बेसिनमें प्राप्त जल से पूरा करना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि डी.पी.आर. के अनुसार परियोजनाओं की योजना केवल न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों के मापदंडों के भीतर होगी और इस तरह से विभिन्न न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों द्वारा दिए गए राज्यों को जल के आवंटन को बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केवल राज्यों की आम मतैक्यता से होगा।

श्री टी. हरीश राव, माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार ने कहा कि गोदावरी बेसिन में अंतर-बेसिनकी आवश्यकताओं को षंचार अधिनिर्णय के अनुसार पहले विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नदियों के अंतर्योजन के माध्यम से अतिरिक्त जल, यदि कोई हो, स्थानांतरित करने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) परियोजना के कार्यान्वयन के कारण उस क्षेत्र में सिंचाई, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, को उद्वहन सिंचाई के साथ बदल दिया जाएगा और वर्तमान में श्री सैलम तथा नागार्जुनसागर बांध में जल विद्युत उत्पादन में नुकसान होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि डी.पी.आर. के साथ आगे बढ़ने से पहले जल विज्ञान संबंधी अध्ययन को नए सिरे से करने की आवश्यकता थी क्योंकि रा.ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन 20-25 साल पूर्व किए गए थे। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि समय-समय पर जल के शेष अध्ययन अद्यतन किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने समझाया कि डी.पी.आर. आम मतैक्यता के आधार पर निर्णय लेने का एक साधन था। उन्होंने उल्लेख किया कि डी.पी.आर. तैयार करने के समय कई कारकों जैसे स्थलाकृति और अन्य अभियांत्रिकी मापदंडों पर विचार किया जाना था। इसलिए, डी.पी.आर. एक सूचित निर्णय पर पहुंचने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि चूंकि डी.पी.आर. का आगे परीक्षण किया जा रहा है, राज्य सरकार के विचारों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।

माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि रा.ज.वि.अ. को आवश्यक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने और एनपीपी लिंक के डी.पी.आर. के लिए जांच कार्य उचित था और नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि उपरोक्त प्रस्ताव का विरोध नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम में विलंब उत्पन्न करेगा। उन्होंने हालांकि, उल्लेख किया कि जहां भी विवाद थे, ऐसे लिंक योजनाएं केवल संबंधित राज्यों की मतैक्यता के बाद ही की जाएंगी।

अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने कहा कि केन-बेतवा लिंक के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के दौरान राज्यों के सुझावों पर उचित रूप से विचार किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यों के विचारों

को डी.पी.आर. में शामिल किया जा सकता है ताकि वे लिंकप्रणाली के लिए तैयार रहें ताकि वे डी .पी.आर. के आधार पर निर्णय ले सकें। उन्होंने उप-समितियों के विचारार्थ विषयों को भी संदर्भित किया जिसमें नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सबसे उचित और स्वीकार्य कार्य योजना की अनुशंसा की गई थी।

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर अपना समझौता व्यक्त किया और लिंकप्रणाली के डी.पी.आर. को प्राथमिकता पर लिए जाने का आग्रह किया।

केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री ए .डी. मोहिले ने उल्लेख किया कि अनुक्रम में विभिन्न अध्ययन करना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि में काफी समय लगता है और इसमें देरी हो सकती है। उन्होंने विचाराधीन प्रस्ताव के साथ मतैक्य व्यक्त किया। प्रो० कामता प्रसाद, अध्यक्ष, आई.आर.एम.डी. दिल्ली ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. को एक प्रतिवाद के साथ डी.पी.आर. की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है कि डी.पी.आर. किसी भी निर्णय को पारित नहीं करेंगे। डॉ० एम. गोपालकृष्णन, पूर्व महासचिव, आई.सी.आई.डी. ने प्रस्ताव का समर्थन किया और गौर किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा डी.पी.आर. के लिए तैयारी के लिए सर्वेक्षण और जांच की अनुमति यथोचित प्रगति हेतु स्वीकार की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के डी.पी.आर. सभी जांच से गुजरेंगे और राज्य इस संबंध में अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कथन किया कि केंद्र सरकार डी.पी.आर. तैयार करने के लिए धन दे रही है और इस प्रकार नदियों की अंतर्योजन परियोजनाओं की संभाव्यता के बारे में मंत्रालय अधिक चिंतित है। उन्होंने उल्लेख किया कि जब तक डी.पी.आर. तैयार न हों, नवीनतम तथ्यों और स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम की प्रगति की सुविधा के लिए राज्यों से अपील की और रा.ज.वि.अ. द्वारा डी.पी.आर. की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और जांच के प्रस्ताव की अनुमति दी।

सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकारने बाद में कार्यसूची में दी गई शर्त के साथ प्रस्ताव पर मतैक्य व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित राज्यों के साथ उनकी मतैक्यता प्राप्त करने के लिए परामर्श की प्रक्रिया परियोजनाओं के डी .पी.आर. तैयार करने की अवधि के दौरान भी जारी रहेगी और किसी भी नदियों की अंतर्योजन परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की मतैक्यता से होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि जल न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों के प्रावधानों का सम्मान और पालन किया जाना चाहिए।

श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने सदस्यों का ध्यान कार्यसूची में स्पष्ट बयान के लिए किया कि संबंधित राज्यों से उनकी मतैक्यता प्राप्त करने के लिए उनके साथ परामर्श की प्रक्रिया डी.पी.आर. तैयार करने की अवधि के दौरान भी जारी रहेगी। परियोजनाओं और किसी भी नदियों की अंतर्योजन परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की मतैक्यता से होगा। इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि समिति द्वारा डी.पी.आर. तैयार करने की याचिका को स्वीकार कर लिया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद और सभी सदस्यों/ ज्यों के प्रतिनिधियों के विचारों पर विधिवत विचार करने के बाद समिति ने निम्नलिखित को मंजूरी दी।

एन.डी.डब्ल्यू.ए. को एनपीपी लिंक के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तैयारी के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और जांच करने की अनुमति है। इसके लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जांच करने के लिए संबंधित वैधानिक अनुमतियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होगी। हालांकि संबंधित राज्यों से उनकी मतैक्यता प्राप्त करने के लिए परामर्श की प्रक्रिया परियोजनाओं के डी .पी.आर. तैयार करने की

अवधि के दौरान भी जारी रहेगी और किसी भी नदियों की अंतर्योजन परियोजना के कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की मतैक्यता से होगा।

मद क्रमांक 2.6 : अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को बताया कि दो डी.पी.आर. अर्थात बुढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा और कोसी-मेची बिहार से संबंधित अंतरा-राज्य संबंध पूर्ण कर लिए गए हैं और उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों को पहले से ही अंतरा-राज्य संबंधों को इंगित करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसके लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा डी.पी.आर. तैयार किए जाने हैं। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि दमनगंगा-चोरवाड़ के अंतरा-राज्य लिंक के डी.पी.आर. को प्राथमिकता पर तैयार करना है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. के बाद मार्च 2015 में दमनगंगा-चोरवाड़ लिंक का डी.पी.आर. लिया जाएगा। झारखंड सरकार के प्रतिनिधि ने दो अंतरा-राज्यलिंक अर्थात; दक्षिण कोऐल-सुबर्णरेखा और सैंक-दक्षिण कोऐल, जिसके लिए रा.ज.वि.अ. ने पहले से ही पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) तैयार कर लिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस संबंध में ओडिशा सरकार की आशंकाओं को दूर करने के लिए इन अंतरा-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए उप-समिति की बैठक में चर्चा की जा सकती है। कार्यसूची टिप्पण में दी गई अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं.2.7 : नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की अधिभावी स्थिति

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 27.02.2012 को 'नदियों की नेटवर्किंग' में, नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति अंतर्योजनकार्यक्रम को चलाने के लिए जिम्मेदार होगी और उच्चतम न्यायालय के तहत बनाए गए सभी प्रशासनिक निकायों या अन्यथा के ऊपर इसके निर्णयों की प्राथमिकता होगी। उसी हैसियत से, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन गठित विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन हेतु पहले गठित अन्य सभी समितियों का अधिक्रमण करेगी। उपरोक्त स्थिति का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं.2.8: "जल मंथन" संगठन, जल मुद्दों पर एक 3 दिवसीय सम्मेलन।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को बताया कि देश के जल संसाधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए "जल मंथन" के रूप में जाना जाने वाला एक 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 20-22 नवंबर, 2014 को आयोजित किया गया था। चर्चा से उभरे महत्वपूर्ण सुझाव/सुझावों को कार्यसूची टिप्पण के साथ जोड़ा गया है। उल्लेख किया गया था कि ये सुझाव नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के नियोजन, निर्माण और कार्यान्वयन में उचित रूप से विचार किए जाएंगे। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.2.9 : अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद।

माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने सभी सदस्यों को उनकी सक्रिय भागीदारी एवं बैठक के दौरान उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लिए नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा था। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित राज्यों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ होगा और बकाया मुद्दों को सर्वसम्मति से हल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

*****

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की
दिनांक 06.01.2015 को आयोजित दूसरी बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची

1.	सुश्री उमा भारती माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)	अध्यक्ष
2.	श्री सांवर लाल जाट माननीय मंत्री (जल संसाधन), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	श्री डी उमा महेश्वर राव माननीय मंत्री (सिंचाई), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
4.	श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
5.	श्री टी. हरीश राव माननीय मंत्री (सिंचाई), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	सदस्य
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, राज्य मंत्री (सिंचाई) उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
7.	श्री अनुज कुमार बिश्नोई, सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री ए.बी. पंड्या अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री एन.एस. पलानियप्पन, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, तमिलनाडुसरकार, चेन्नई	सदस्य
10.	श्री अजिताभ शर्मा, सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर	सदस्य
11.	श्रीमती मालिनी वी. शंकर, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
12.	श्रीमती टिंकू बिस्वाल,	सदस्य

	सचिव, जल संसाधन विभाग, केरलसरकार, तिरूवंतपुरम	
13.	श्री ए.एन. दास प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग,आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
14.	श्री आरएस प्रसाद, से.नि. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, विशेषज्ञ, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री गुरुपद स्वामी बीजी, सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
16.	श्री आर.के. चतुर्वेदी, आवास आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार, नई दिल्ली	प्रमुख सचिव, जल संसाधन, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	श्री पी.बी. रामामूर्ति, अपर मुख्य आयुक्त, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	प्रमुख सचिव, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्री अशोक कुमार शर्मा, अपर आयुक्त, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार, पंचकुला	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री बी.बी. बर्मन, निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
20.	श्री एम.पी. रावल, मुख्य अभियंता (एसजी) एवं अपर आयुक्त, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर	सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्री कृष्णा नाथ, अपर आयुक्त (सिंचाई) उत्तराखंड सरकार, देहरादून	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
22.	श्री आर.एस. नेगी, मुख्य अभियंता, दिल्ली जल मंडल, रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार, दिल्ली	प्रमुख सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे. सरकार का प्रतिनिधित्व
23.	श्री डी.के. सिंह, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व

24.	श्री ए.के. बरुआ, मुख्य अभियंता (क्यूसी), जल संसाधन विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
25.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. एवं सदस्य-सचिव	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार,
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,नई दिल्ली

2. श्री आर के पचौरी,
   महानिदेशक, टेरी

3. श्री ए.डी. मोहिले,
   पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

4. श्री एम. गोपालकृष्णन,
   स्वतंत्र विशेषज्ञ, जल संसाधन

5. श्री श्रीराम वेदियार, सामाजिक कार्यकर्ता
   सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

6. श्री ए.डी. भारद्वाज,
   से.नि. सदस्य, केंद्रीय जल आयोग

7. श्री ए.सी. त्यागी,
   महासचिव, आई.सी.आई.डी.,
   नई दिल्ली

8. प्रो० पी.बी.एस. शर्मा, से.नि.
   सीईडी, आईआईटी, दिल्ली

9. प्रो० कामता प्रसाद,
   अध्यक्ष, संसाधन प्रबंधन एवं आर्थिक विकास संस्थान,
   नई दिल्ली

10. प्रो० सैयद इकबाल हसनैन,
    पूर्व प्रोफेसर, जेएनयूएवं
    पूर्व उप कुलपति,
    कालीकट विश्वविद्यालय,
    नई दिल्ली

11. डॉ० शरद कुमार जैन
    वैज्ञानिक – जी
    राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान,
    रूड़की

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारी

1. डॉ० अमरजीत सिंह,
   अतिरिक्त सचिव भारत सरकार
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

2. श्री सुनील कोहली,
   संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार,
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्री टीवीएसएन प्रसाद
   संयुक्त सचिव (पीपी)
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

4. श्री प्रदीप कुमार,
   आयुक्त (एसपी)
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

5. श्री बी.के. पांडा,
   मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

6. डॉ० एम.के. सिन्हा
   वरि० संयुक्त आयुक्त (पीपी)
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

7. श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी,
   निदेशक (आईईसी)
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

8. श्री असित चतुर्वेदी,
   उपायुक्त (बीएम),
   जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

1. श्री आर् विद्यासागर राव,
   सलाहकार (आई),
   तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

2. श्री विजय जैन,
   प्रमुख अभियंता,
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
   हरियाणा सरकार, पंचकुला

3. श्री एम. वेंकटेश्वर राव,
   प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग,
   आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

4. श्री आर् सुब्रमणियन,
अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
जल संसाधन विभाग,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

5. श्री ए.एन. गुप्ता,
प्रमुख अभियंता,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

6. श्री आर.वी. पांसे,
मुख्य अभियंता एवं संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई-32

7. श्री डी.सी. सिंह,
मुख्य अयभियंता (कुवा)
सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून

8. श्री एस.एन. शर्मा,
मुख्य अभियंता (बेतवा)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

9. श्री राजीव वर्मा,
मुख्य अभियंता (यमुना),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
हरियाणा सरकार, नई दिल्ली।

10. श्री डी. रामाकृष्णा,
मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यू आर,
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

11. श्री अनिल कुमार,
उप सचिव (डब्ल्यूआरआई)
जल संसाधन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू

12. श्री पी.आर. भाकल,
अपर मुख्य अभियंता (मु०),
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

13. श्री टी. रामाचन्द्रू,
तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि,
नई दिल्ली।

14. श्री एन.के. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग,
रा.रा.क्षे. दिल्ली की सरकार, दिल्ली

15. श्री योगेश कुमार मिथन,
कार्यपालन अभियंता (एन),
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

16. श्री जे.के. शर्मा,
सहायक अभियंता,
हेड वर्क्स डिवीजन (आगरा नहर),
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली

17. श्री कन्हैया लाल राज भर,
राज्य मंत्री (पीडब्ल्यूडी एवं सिंचाई) के पीआरओ,
उत्तर प्रदेश सरकार

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

1. श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मु०), नई दिल्ली

2. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद

3. श्री एच.एन. दीक्षित,
मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ

4. श्री एन.सी. जैन,
निदेशक (टेक.), नई दिल्ली

5. श्री एम.पी. गुप्ता,
निदेशक (वित्त), नई दिल्ली

6. श्री ओ.पी.एस. कुशवाहा,
अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली

7. श्री एस.सी. अवस्थी,
अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर

8. श्री जे.एस.एस. शास्त्री,
परामर्शदाता, नई दिल्ली